न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2005

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री वजाजी जाति कलबी निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 14.06.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2000 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर प्रार्थी को जरिए टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर नम्बर जीजे 02 एक्स 1887 में अवैध रूप से केरोसीन तेल भरा हुआ जिसका निरीक्षण करने पर उसमें 4000 लीटर के तीन कम्पार्टमेन्ट में केरोसीन भरा हुआ था। इस प्रकार कुल 12000 लीटर ब्लू रंग का केरोसीन भरा हुआ था। बिना परमिट एवं उचित कारण के केरोसीन कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से केरोसीन को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है । उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2003 को निर्णित हो चुका था जिसकी अपील न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही में की गई। न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय अपास्त किए जाने से पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:14 IST
Reason: SelfAttested

सरकार की ओर से सहायक लोक [illegible] अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 18.10.2000 की रात्रि 2.30 ए.एम. पर प्रार्थी को जरिए टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर नम्बर जीजे 02 एक्स 1887 में अवैध रूप से केरोसीन तेल भरा हुआ है [illegible] डीलर आशापुरा पेट्रोलियम से भरकर तिरूपति फिलिंग स्टेशन रेवदर पर खाली होने के लिए पाली से शिवगंज की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा नाकाबन्दी की गई तो 3.30 ए.एम. पर पाली की तरफ से उक्त टैंकर आया उसे पुलिस द्वारा रूकवाया गया। चालक एवं

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खलासी का नाम पता पूछा गया जिन्हें टैंकर से भरे माल बाबत पूछने पर डीजल होना बताया व कागजात चैक करने पर आई.ओ.सी. सालावास डिपो के बिलों में डीजल व पेट्रोल टैंकर में भरा होना व रवानगी समय 17.10.2000 को वक्त 9.37 ए.एम. का अंकित होने से संदेह होने पर चालक व खलासी से पूछताछ की तो टैंकर में ब्लू रंग का केरोसीन भरा होना बताया जो पाली आशापुरा पेट्रोलियम डीलर से भरकर रेवदर पेट्रोल पम्प पर खाली करने ले जाना बताया तथा इस बाबत अपने पास कोई परमिट तथा रूटचार्ट नहीं होना बताया जिस टैंकर को थाना के सामने रूकवा कर जब्ती कार्यवाई बाबत् जरिए टेलीफोन सी.ओ. वृत्त सिरोही को सूचना दी गई। इस पर सी.ओ. वृत्त सिरोही द्वारा मौके पर मौतबिरान प्रवर्तन निरीक्षक शिवगंज एवं पटवारी शिवगंज के रूबरू चालक व खलासी ने ब्लू रंग का केरोसीन टैंकर में होना बताया जिसको टैंकर में उपलब्ध डीप से नापा गया तो प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट में 4000 लीटर केरोसीन तेल भरा पाया जो तीनो कम्पार्टमेन्ट में कुल 12000 लीटर केरोसीन तेल भरा हुआ होने से इस बाबत कोई अनुज्ञापत्र नहीं होने से कब्जे सरकार लिया गया। अतः केरोसीन ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी ने सैशन न्यायालय सिरोही में अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 06.07.2005 को हुआ जिसमें निर्देश दिए गए कि टैंकर के रजिस्टर्ड ओनर को सुनकर फैसला करे। यह है कि शंकरलाल की अपील माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेण्डिंग है एवं उसका स्टेटस भी पेश किया। अतः श्री शंकरलाल की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 18.10.2000 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर प्रार्थी को जरिए टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर नम्बर जीजे 02 एक्स 1887 में अवैध रूप से केरोसीन तेल भरा हुआ है जिसे गुमानसिंह कोटन डीलर आशापुरा पेट्रोलियम पाली से भरकर तिरूपति फिलिंग स्टेशन रेवदर पर खाली होने के लिए पाली से शिवगंज की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा नाकाबन्दी की गई तो 3.30 ए.एम. पर पाली की तरफ से उक्त टैंकर आया उसे पुलिस द्वारा रूकवाया गया। चालक एवं खलासी का नाम पता पूछा गया जिन्हें टैंकर से भरे माल बाबत पूछने पर डीजल होना बताया व कागजात चैक करने पर आई.ओ.सी. सालावास डिपो के बिलों में डीजल व पेट्रोल टैंकर में भरा होना व रवानगी समय 17.10.2000 को वक्त 9.37 ए.एम. का [illegible] से संदेह होने पर चालक व खलासी से पूछताछ की तो टैंकर में ब्लू रंग का केरोसीन भरा होना बताया जो पाली आशापुरा पेट्रोलियम डीलर से भरकर रेवदर [illegible] पम्प पर खाली करने ले जाना बताया तथा इस बाबत अपने पास कोई परमिट तथा रूटचार्ट नहीं होना बताया जिस टैंकर को थाना के सामने रूकवा कर जब्ती [illegible]वाई बाबत् जरिए टेलीफोन सी.ओ. वृत्त सिरोही को सूचना दी गई। इस पर सी.ओ. वृत्त सिरोही द्वारा मौके पर मौतबिरान प्रवर्तन निरीक्षक शिवगंज एवं पटवारी शिवगंज के रूबरू चालक व खलासी ने ब्लू रंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

केरोसीन टैंकर में होना बताया जिसको टैंकर में उपलब्ध डीप से नापा गया तो प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट में 4000 लीटर केरोसीन तेल भरा पाया जो तीनो कम्पार्टमेन्ट में कुल 12000 लीटर केरोसीन तेल भरा हुआ होने से इस बाबत कोई अनुज्ञापत्र नहीं होने से कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि श्री शंकरलाल की अपील माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है एवं उनके द्वारा उसका स्टेटस भी पेश किया गया परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि माननीय उच्च न्यायालय में किस निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने केवल केस स्टेटस पेश किया जिससे यह अंकित नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त अपील किस निर्णय के विरूद्ध पेश की है। जहां तक टैंकर के वाहन के पंजीकृत स्वामी को सुनवाई देने का कथन है तो वाहन स्वामी को पूर्व में सुनवाई के कई अवसर दिए जा कर अवसर बंद कर दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा जारी निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ड़ीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 12000 ब्लू रंग केरोसीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए 12000 लीटर ब्लू रंग का केरोसीन के अन्तरिम निस्तारण में 11935 लीटर पाया गया जो समयपहरण करने के आदेश दिए जाते है साथ उक्त केरोसीन के परिवहन में लाया गया वाहन राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (ग) के तहत समयपहरण करने के आदेश दिए जाते है। साथ ही मैसर्स सन ट्रान्सपोर्ट पार्टनर जे. जे. चौधरी के पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर योगेश भाई पुत्र श्री हसमुखभाई पटेल निवासी मेहसाणा गुजरात को यह विकल्प दिया जाता है कि वह माल के बराबर राशि एक माह की समयावधि में जिला रसद अधिकारी सिरोही के कार्यालय में जमा करा दे तो उक्त टैंकर समयपहरण से मुक्त रहेगा। चूंकि उक्त टैंकर से बरामद 11935 लीटर केरोसीन का अंतरिम निस्तारण उपभोक्ताओं को वितरण के माध्यम से होकर प्राप्त राशि रूपये 1,05,721/– जरिए चालान संख्या 23 दिनांक 03.11.2000 द्वारा राजकोष में बतौर अमानत जमा हो चुके है। अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही उक्त राशि प्रोपर लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाई करे साथ ही वाहन मालिक से वसूली आदि की कार्यवाई कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:14 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner